**प्रेस नोटः–**

**कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–31.03.2019**

## यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **99 वाहनों से मु0– 17,200 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

## पैदल गश्त अभियानः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भा0द0वि0/34 पुलिस अधिनियम में 30 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

## शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 18 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

## 17 वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 17 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

## अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 29.03.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 50 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

## थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामबहादुर पुत्र रामसूरत निवासी पाण्डेयपुरवा मौजा पूरे सर्वसुख थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–96/19, 02. मलहू राम पुत्र भगौती निवासी लक्ष्मनपुर लाल नगर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से **10 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–97/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. विकास पुत्र रामसजन निवासी नयन जोतिया थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–92/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## अवैध असलहों के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, विभिन्न थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारी–

आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आर0पी0सिंह द्वारा जनपद मे अवैध रूप से शस्त्र रखने व निर्माण में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के लिये समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व स्वाट टीम को सख्त निर्देश दिये थे। कार्यवाही का विवरण निम्नवत है–

## थाना नवाबगंज से कार्यवाही–

अभियुक्त मो0 हद्दीश पुत्र मो0सद्दीक निवासी चाईटोला थाना नबाबगंज जनपद गोण्डा को क्षेत्र भ्रमण के दौरान रेलवे स्टेशन नवाबगंज के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर मु0अ0सं0–101/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

## थाना धानेपुर से कार्यवाही–

अभियुक्त समद उर्फ भल्लू पुत्र रशीद खॉ निवासी कलदंर पुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को क्षेत्र भ्रमण के दौरान इंदिरा नगर पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर मु0अ0सं0–139/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

## विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **कुल– 21 विवेचनाओं** का निस्तारण किया गया।

## बरामदगी–

01. 50 ली0 अवैध कच्ची शराब।